न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 109 / 2023

1 जगुराम उर्फ जग्गू पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीराम पुत्र
2 केशर देव पुत्र
3 नाहर सिंह पुत्र
4 मूलचंद पुत्र
5 संतोष पुत्री
6 छोटी पुत्री
7 मीरा पुत्री
8 मोहरी पुत्री
9 विमला पुत्री रामलाल जाति माट निवासी रघुनाथुपरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 नेतराम पुत्र
11 खड़गाराम पुत्र
12 रामकुमार पुत्र
13 गुगनराम पुत्र
14 सुखदेवराम पुत्र
15 गुलाबी पुत्री
16 मूंगी पुत्री
17 परमेश्वरी पुत्री हेमुराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
18 चीमना पुत्र
19 धूड़ाराम पुत्र
20 भागौती पुत्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

21 अणची पुत्री हरू जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
22 श्यामा पुत्र
23 लेखू पुत्र
24 शीशपाल पुत्र
25 मंगली पुत्री झाबर जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
26 ओमप्रकाश पुत्र
27 मामराज पुत्र
28 जगदीश उर्फ सीताराम पुत्र
29 कमला पुत्री
30 बबीता पुत्री
31 बरजी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
32 महेन्द्र पुत्र
33 महीपाल पुत्र
34 सजना पुत्री
35 इन्द्र पुत्री
36 सुशीला पुत्री
37 नानची पुत्री सेडूराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
38 मणची देवी पत्नी सेडुराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
39 तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं प्रकरण श्रीराम बनाम
संतोष वैग. प्रकरण संख्या 17/2012 (202/2008)
निर्णय दिनांक 04.04.2023

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय ओला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री यतीश सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—4/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2012 (202/2008) में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 250 नये खसरा नम्बर 506, 509, 663/28 वाके ग्राम रघुनाथपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.08.2011 को उक्त प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया और पक्षकारान को बिना कोई सूचना के उक्त प्रकरण दिनांक 16.01.2012 को पुनः नम्बर पर ले लिया। उक्त प्रक्रिया में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी है और कानून का दुरूपयोग कर विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। जब कि कानूनन यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया जाता है तो उसको पुनः नम्बर पर लिये जाने से पूर्व वाद के सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये जावेंगे और उनको पुनः सुना जाकर ही कोई आवश्यक आधार प्रतीत होने पर ही प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जा सकता है परन्तु यहां विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया के ही उक्त प्रकरण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को नम्बर पर ले लिया। प्रकरण में पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के उपरांत भी वादपत्र के पक्षकारान को उक्त प्रकरण में हाजिर होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किये और ना ही उनके अधिवक्ता को कोई विधिक नोटिस जारी किये गये। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 17.11.2022 को प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी जिरह हेतु दिनांक 06.12.2022 नियत की है जबकि उक्त प्रकरण में कोई भी अधिवक्ता (प्रतिवादीगण) की ओर से हाजिर नहीं है। फिर न्यायालय द्वारा आगे पत्रावली दिनांक 01.02. 2023 में प्रकरण में सीधे ही बहस सुनी जाकर आदेश हेतु तारीख नियत कर दी गई। प्रकरण में वादी ने जमीन खसरा नम्बर 250 रकबा 2 बीघा 17 बिश्वा, जिसके नये खसरा नम्बर 506 रकबा 0.66 है. व खसरा नम्बर 509 रकबा 0.05 है. व खसरा नम्बर 663/28 रकबा 0.02 है. कुल रकबा 0.73 है के संबंध में दावा प्रस्तुत किया है जबकि उक्त जमीन का पूर्व खातेदार बल्लू पुत्र जीवनदास था जिसके तीन पुत्र, हरू, झाबर व लच्छू थे। परन्तु श्रीराम (वादी) ने कुरड़ाराम व हेमू को बल्लु पुत्र जीवनदास की पुत्र संतान बताकर विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर दिया और बल्लू पुत्र जीवनदास के तीसरे पुत्र लच्छू का नाम भी दर्ज नहीं किया। इस प्रकार वर्तमान अपील के पक्षकार लच्छू के वारिसान है और लच्छू का नाम दावे में दर्ज ना कर उनके हिस्से को भी वादी ने दर्ज नहीं किया और कुरड़ाराम व हेमू को बल्लु की संतान बताकर हिस्सा दर्ज कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय अगर प्रकरण में अपीलान्ट का जवाब लेकर प्रकरण की नियमित सुनवाई करता तो यह विचाराधीन निर्णय पारित नहीं करता, परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रकरण के निस्तारण की विधिक प्रकिया में बिना जवाब व सुनवाई के यह आदेश पारित कर दिया। जिससे अपीलान्ट का हित प्रभावी होता है। इसलिए विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावी पक्षकार है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश बिना विधिक प्रकिया के व बिना पक्षकार को सुने पारित कर दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2023 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय को इस आदेश के साथ पत्रावली रिमांड की जावे कि प्रकरण में विधिक प्रकिया अपनायी जाकर पक्षकारान

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं

का जवाब लिया जाकर व सुनवाई की जाकर कोई विधि सम्मत आदेश पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 250 नये खसरा नम्बर 506, 509, 663/28 वाके ग्राम रघुनाथपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2011 को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र सं. 206/2011 में निर्णय दिनांक 19.12.2011 से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद को पुनः नम्बर पर लिया गया है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा कुल 32 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था। इन 32 प्रतिवादीगण में से किसी भी पक्षकार ने विचारण न्यायालय के वाजदायरी आदेश दिनांक 19.12.2011 को आदिनांक तक चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2012 को वाद पुनः नम्बर पर लेने के उपरांत दिनांक 04.04.2023 को 11 साल के बाद विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के मूलवाद को नम्बर पर लिये जाने की विधिक प्रक्रिया के संदर्भ में अपील में आपत्ति की है। यह आपत्ति वाजदायरी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर की जा सकती है। मूलवाद के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में प्रकरण के गुणावगुण पर अपीलांट द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 250 नये खसरा नम्बर 506, 509, 663/28 वाके ग्राम रघुनाथपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2011 को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र सं. 206/2011 में निर्णय दिनांक 19.12.2011 से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद को पुनः नम्बर पर लिया गया है।

विचारण न्यायालय में वादी द्वारा कुल 32 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था। इन 32 प्रतिवादीगण में से किसी भी पक्षकार ने विचारण न्यायालय के वाजदायरी आदेश दिनांक 19.12.2011 को आदिनांक तक चुनौती नहीं दी है।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2012 को वाद पुनः नम्बर पर लेने के उपरांत दिनांक 04.04.2023 को 11 साल के बाद विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के मूलवाद को नम्बर पर लिये जाने की विधिक प्रक्रिया के संदर्भ में अपील में आपत्ति की है। यह आपत्ति वाजदायरी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर की जा सकती है। मूलवाद के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में प्रकरण के गुणावगुण पर अपीलांट द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 4/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II RAS)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर